# न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल दरभंगा

दिनेश मंडल

वनाम

फुलो मंडल

वाद संख्या–43/2013–14

वाद का प्रकार–सीमाकंन

## आदेश

18.10.2013 यह वाद बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत प्रश्नगत भूमि के सीमांकन के लिए दायर किया गया है।

**प्रश्नगत भूमि का विवरण**

मौजा हाटी थाना नं0–297 अंचल व थाना बिरौल जिला दरभंगा।

| खाता | खेसरा | रकवा | चौहद्दी |
|---|---|---|---|
| | | 16 धुर/19 | |
| 87 पु0 | 482 पु0 | धुर | उ0–जगीरी मंडल का घर |
| | 483 पु0 | 13 धुर | द0–सुरेश मंडल का घर |
| 385 नया | 502 नया | 01 डि0 | पु0–अशर्फी मंडल का घर |
| | 503 नया | 03 डि0 | प0–रास्ता एवं पालकी मंडल |
| 87 पु0 | 482 पु0 | 05 धुर | |
| | 483 पु0 | 05 धुर | |
| | | 10 धुर | |

प्रथम पक्ष का कहना है कि वादीगण को अंचल कार्यालय बिरौल से वासगीत पर्चा वाद संख्या 01/82–83 द्वारा प्राप्त है जिसका कुल रकवा 19 धुर है जिसमें पुराना खाता 87 से दो खेसरा कमशः 482 एवं 483 पुराना निर्मित है जिसमें वादीगणो को खेसरा 482 से रकवा 06 धुर एवं खेसरा नं0–483 से रकवा 13 धुर प्राप्त है जिसके भूस्वामी महन्थ परमानन्द दास है जो वादीगणो के शांतिपुर्ण दखल कब्जा में चला आ रहा है जिसका उपयोग वो उपभोग वादीगण मकानमय सहन तथा बारी झारी के रूप में किया करता है एवं अंचल आमला को राजस्व कर अदाकर जमाबंदी नं0–848 तहत अद्यतन राजस्व रसीद प्राप्त करते आ रहे है। पुराना खाता 87 खेसरा 482 पुराना से रकवा 5 धुर एवं खेसरा 483 पुराना से रकवा 05 धुर कुल 10 धुर वादीगणो के

पिता तनुक मंडल पे0 नन्हे मंडल को भूस्वामी परमानन्द दास से सन् 1960 साल में ही रसीदी बन्दोबस्ती द्वारा प्राप्त है जो उनको पिता के समय से ही शांतिपुर्ण दखल कब्जा में चली आ रही है जिसका वो मकानमय सहन के रूप में उपभोग करते आ रहे है। सर्वे आमला के भूलवश प्रश्नगत भूमि का हाल खाता 385 हाल खेसरा 502 रकवा 01 डि0 एवं हाल खेसरा 503 रकवा 03 डि0 लक्ष्मी यादव पिता रामफल यादव निवासी हाटी अंचल बिरौल के नाम दर्ज हो गया था जिसके सुधार हेतु वादी ने सक्षम न्यायालय भूबन्दोबस्त पदाधिकारी दरभंगा के न्यायालय में बी0 टी0 एक्ट की धारा 106 अन्तर्गत अधिकार वाद संख्या 15042/94 दिनेश मंडल वो उमेश मंडल तनुक मंडल वनाम लक्ष्मी यादव पिता रामफल यादव दायर किया जो निर्णय हेतु सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी बिरौल के न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.10.2004 ई0 को वादी के पक्ष में खाता खतियान सुधार हेतु आदेश पारित किया गया। उपयुक्त विवरणी की भूमि प्रतिवादी नं0 1 के दादा दुनी मंडल के नाम भूहदबन्दी वाद संख्या 215/1975–76 वनाम महन्थ परमानन्द दास के द्वारा भूमिहीन के बीच परवाना द्वारा प्राप्त है एवं वैध दखल कब्जा है माननीय न्यायालय के पुर्वी भूमि सुधार उपसमाहर्ता बिरौल द्वारा वाद संख्या 18/2009 ई0 में प्रतिवादी नं0 1 के पिता सुरेश मंडल को दिनांक 18.10.2001 ई0 को उपस्थित हेतु सुचना निर्गत किया गया था जिसकी छायाप्रति संलग्न है दिनांक 17.01.2013 को प्रतिवादी के भूमि की मापी ग्रामिण गणमान्य व्यक्तियों के उपस्थिति में किया जा चुका है। उक्त भूमि पर द0 प्र0 स0 की धारा 144 मुकदमा संख्या 37/2013 की कारवाई चली थी जिसमें अंचल अधिकारी बिरौल को मापी एवं सीमांकन हेतु दिनांक 20.03.2013 को आदेश पारित किया जा चुका है। इस प्रकार प्रतिवादी अपने पर्चा के वर्णित भूमि पर दखल काबिज है। उक्त भूमि में प्रतिवादी द्वारा अवासीय घर का निर्माण कार्य भूमापक से सीमाकंन पश्चात प्रारंभ किया जा चुका है साथ ही द0 प्र0 स0 की धारा 144 मुकदमा संख्या 37/2013 के बिरौल थाना द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से फुलो मंडल द्वारा गृह निर्माण कार्य करने की पुष्टी की गई है। वादी द्वारा दर्ज वाद पत्र के चौहददी के दक्षिण में प्रतिवादी नं0–1 के पिता सुरेश मंडल का नाम दर्ज है जिसकी मृत्यु विगत 20 वर्ष पुर्व हो चुकी है। खाता 116 खेसरा 486 रकवा 13 डि0 भूमि दरभंगा जिला गजट 16 जुन 1976 के अनुसार महन्थ परमानन्द दास ग्राम हाटी थाना बिरौल जिला दरभंगा के नाम है एवं उक्त भूमि का सीमाकंन हेतु उनके वैध भूस्वामी को पक्षकार नही बनाया गया है एसी स्थिति में वादी द्वारा दर्ज संदर्भित सीमांकन वाद निरस्त योग्य है। प्रतिवादी अपने दादा के नाम प्राप्त पर्चा के अनुरूप वैध दखल काबिज है प्रश्नगत भूमि का नक्शा का ट्रेस अमीन का प्रतिवेदन सह पर्चा की छायाप्रति एवं जिला गजट वो उक्त भूमि के सीमाकंन की आवश्यकता नही है प्रश्नगत भूमि के मापी की यदि वादी को आवश्यकता है तो अंचल अधिकारी बिरौल को आवेदन आवेदित करते परंतु अद्यतन वादी द्वारा अंचल अधिकारी बिरौल को सीमाकंन हेतु आवेदन आवेदित नही किया गया।

दोनो पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना, अभिलेख के साथ संलग्न उत्तर–प्रतिउत्तर एवं साक्ष्य का अवलोकन किया। प्रथम पक्ष द्वारा दो तहत की प्रश्नगत भूमि के सीमांकन की मॉग की गई है। एक वासगीत पर्चा से प्राप्त पुराना खेसरा 482 एवं 483 जिसका नया खेसरा 502 एवं 503 है की 19 धुर भूमि एवं दुसरा रसीदी बन्दोबस्ती से प्राप्त पुराना खेसरा 482 एवं 483 की 10 धुर भूमि। प्रथम पक्ष के द्वारा साक्ष्य स्वरूप 19 धुर का वासगीत पर्चा, 19 धुर का लगान रसीद 1960 के रसीदी बन्दोबस्ती के कागजात प्रस्तुत किये गये है। इसके अलावे वादी द्वारा नया खेसरा 502 एवं 503 से संबंधित खयितान की प्रति एवं वादी के पक्ष में 106 बी0 टी0 एक्ट के आदेश की छायाप्रति संलग्न की गयी है। इन साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी के पास केवल नया खेसरा 502 एवं 503 रकवा 19 धुर भूमि से संबंधित साक्ष्य ही है जबकि वाद पत्र में इसके अलावे 10 धुर और भूमि पर दावा करते हुए सीमाकंन की मॉग की गयी है। वादी के लगान रसीद से स्पष्ट होता है कि जमांबंदी मात्र 19 धुर की है जिसका लगान रसीद निर्गत है। इसके अलावे अन्य 10 धुर भूमि का 1960 का बन्दोबस्ती रसीद (जो अस्पष्ट है) के अलावे कोई अद्यतन साक्ष्य नही है। प्रतिवादीगण द्वारा जो भी कागजात प्रस्तुत किये गये है वो खेसरा 486 (पु0) 501 (नया) तथा 951 (पु0) से संबंधित है जो कि सुचना के अधिकार से प्राप्त एवं संलग्न जानकारी के आधार पर प्रतिवादी सं0–1 के दादा के नाम भू–हदबंदी वाद संख्या 215/75–76 से प्राप्त है। वादी द्वारा प्रश्नगत भूमि के बन्दोबस्ती रकवा 10 धुर से संबंधित कोई ग्राह्य साक्ष्य प्रस्तुत नही करने के कारण प्रश्नगत भूमि पर खण्डित आदेश देना युक्तिसंगत प्रतीत नही होता है। अतः वाद को खरिज किया जाता है। वादी यदि चाहे तो प्रश्नगत भूमि के वासगीत पर्चा वाली भूमि के सीमाकंन के लिए अंचलाधिकारी को आवेदन दे सकते है।

उपर्यूक्त निष्कर्ष के साथ इस वाद को निस्तारित किया जाता है उक्त आदेश से संबंधित पक्षो के विज्ञ अधिवक्ताओं को अवगत करा दे तथा आदेश की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चिपका दे।

लेखापति एवं संशोधित

18.10.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल

18.10.13

भूमि सुधार उपसमाहर्ता

बिरौल